मण्डी लाइसेंस हेतु आनलाइन आवेदन के लिये दिशा–निर्देश

मण्डी समिति द्वारा 23 प्रकार के लाइसेंस अलग–अलग कार्यो हेतु प्रदान किये जाते हैं लाइसेंस हेतु आवेदन आनलाइन किया जा सकता है। आनलाइन आवेदन फार्म भरने के सहायतार्थ बिन्दुवार निर्देश निम्नवत् हैं:–

''नवीन लाइसेंस हेतु आवेदन'' लिंक पर जायें तथा क्लिक करें। लाइसेंस फार्म को बिन्दुवार निम्नवत् भरें:–

1. जिस स्तर का लाइसेंस चाहिये उसे चयन करें यदि सिर्फ एक मण्डी का लाइसेंस चाहिये तो मण्डी स्तर चुने यदि एकल लाइसेंस(यूनीफाइड लाइसेंस) जो पूरे प्रदेश में कृषि उत्पाद के व्यापार करने के लिये वैध होता है चाहिये तो उसका चयन करें।
2. मण्डी क्षेत्र का चयन करें जहॉ आवेदन करना चाहते हैं। यूनीफाइड लाइसेंस के लिये भी किसी एक मण्डी क्षेत्र का चयन करना होगा।
3. किस अवधि के लिये लाइसेंस चाहिय उसका चयन करें। कोई भी अवधि उतने कृषि वर्ष के लिये ही लागू होगी।
4. आवेदक अपना नाम भरें।
5. आवेदक अपने पिता का नाम भरें श्री/स्व0 इत्यादि लगाने की आवश्यकता नहीं है।
6. आवेदक अपना आधार नं0 डाल सकते हैं।
7. आवेदक अपना पैन नं0 भरें।
8. आवेदक अपनी ई–मेल आई0डी0 डालें। ई–मेल आई0डी0 त्रुटिरहित होनी चाहिये क्योंकि सभी प्रकार की सूचनायें इसी ई–मेल आई0डी0 पर भेजी जायेंगी।
9. आवेदक अपना मोबाइल नम्बर भरें।
10. आवेदक अपना पूरा पता भरें।
11. आवेदक अपना पिन कोड़ भरें।
12. आवेदक अपना राज्य चुनें।
13. आवेदक अपने जनपद का चयन करें।

14. आवेदक अपनी व्यवसायिक इकाई का नाम भरें।
15. आवेदक अपनी व्यवसायिक इकाई के प्रकार का चयन करें(जैसे कि प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फर्म, कम्पनी, एफ0पी0ओ0, सोसाइटी)

16. आवेदक अपनी व्यवसायिक इकाई का स्थायी पता भरें।
17. आवेदक अपनी व्यवसायिक इकाई का स्थानीय पता भरें। (यदि व्यवसायिक इकाई का स्थायी पता तथा स्थानीय पता समान है तो (''दोनों समान है'' क्लिक को टिक करें)।
18. आवेदक अपनी व्यवसायिक इकाई का पैन नम्बर भरें। यदि व्यसायिक इकाई प्रोपराईटरशिप हो तो प्रोपराईटर का पैन नम्बर भरें।
19. आवेदक अपनी व्यवसायिक इकाई का जी.एस.टी. आई.एन. नम्बर भरें(यदि हो तो)।
20. आवेदक यदि प्रोपराइटरशिप है तो नामिनी का नाम भर सकते हैं।
21. आवेदक यदि प्रोपराइटरशिप है तो नामिनी का आधार नम्बर भर सकते हैं।
22. आवेदक की व्यवसायिक इकाई निबद्ध है अथवा नहीं इसका चयन करें।(अर्थात व्यवसायिक इकाई, कम्पनी या फर्म के रूप में पंजीकृत है अथवा नहीं)
23. आवेदक यदि निर्यातक है तो :-
    (क) आवेदक आई.ई.सी. कोड़ भरें।
    (ख) आवेदक अपना अपीडा नम्बर भरें।
24. आवेदक प्रयोजन का चयन करें जिसके लिये लाइसेंस चाहिये।
25. आवेदक उस मण्डी क्षेत्र/मण्डी स्थल का नाम लिखें जिसमें व्यापार करना चाहता है।
26. सम्पूर्ण सूचना भरने के बाद **''सबमिट बटन''(संरक्षित करें)** पर क्लिक करें।
27. फर्म के स्वामियों के संबंध में सूचना जोड़ सकते हैं।
28. भण्डारों तथा अन्य संग्रह भू-गृहादि के ब्यौरे, विवरण क्षमता तथा स्थिति की सूचना जोड़ सकते हैं।
29. आवेदक अपना फोटो अपलोड़ करें।

30. आवेदक अपना हस्ताक्षर अपलोड़ करें।

31. आवेदक जिस लाइसेंस के लिए आवेदन कर रहा है उसके लिए आवश्यक सभी डाकूमेंट की एक पी.डी.एफ. फाइल बनाकर अपलोड़ करें।

32. सम्पूर्ण सूचना भरने पर ''फार्म संरक्षित करें'' पर क्लिक करें।

33. आवेदन शुल्क जमा करें।

34. आवेदक लाइसेंस हेतु फीस का भुगतान करने के लिये ''आवेदन शुल्क जमा करें'' क्लिक पर क्लिक करें।

35. आवेदक को लाइसेंस हेतु फीस भरने के बाद प्राप्त एस.बी.आई. बैंक की तरफ से एक रेफरेन्स

नम्बर प्राप्त होगा।

36. प्राप्त रेफरेन्स नम्बर को भरने के लिये आवेदक को e mandi.upsdc.gov.in पर जाकर ''आवेदन की स्थिति'' लिंक पर क्लिक करें।

37. आवेदक अपना ट्रांजेक्शन संख्या (रेफरेन्स नम्बर) भरें तथा लाइसेंस फीस का भुगतान करने का दिनॉक भरकर ''संरक्षित करें'' क्लिक पर क्लिक करें।

38. आपका आवेदन चयन किये गये लाइसेंस हेतु पूर्ण हुआ।

धन्यवाद।